

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 611 / 2020

इस कार्यालय के पत्रांक का/283/यॉ/अरे-अमं/पार०स्थाना./प्रसलोपा-सलोपा/सोन./19/भाग-। दिनांक 27.08.2020 एवं मरेप्र(का०)/उत्तर रेलवे/अंबाला कैंट मंडल के पत्र सं० 940-E/ALP/IRMT/Sujeet/UMB/P-2 दिनांक-15.10.2020 द्वारा इंद्र जीत, पुत्र मदन लाल, सलोपा (वि.) लेवल-02 अधीन मुख्य कू नियंत्रक/विद्युत/बरौनी, सोनपुर मंडल एवं श्री सुजीत कुमार, पुत्र श्री गिरजा प्रसाद, लोपा शंटर-।। लेवल-04 अधीन सीसेई(लोको)/अंबाला छावनी, अंबाला छावनी मंडल/उत्तर रेलवे के साथ सलोपा लेवल-02 में निम्नतम वरीयता पर अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनो मंडल की सहमति प्राप्त है। पारस्परिक स्थानांतरण निम्न शर्तों के अंतर्गत अनुमेय होगा।

अतः श्री इंद्र जीत पुत्र मदन लाल, सलोपा(वि)/बरौनी को इस कार्यालय में सत्यापित पहचान के साथ विरमित कर भेजें, जिससे अंबाला छावनी मंडल विरमित किया जा सके।

01. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलो से मुक्त होना चाहिये।
02. नियमानुसार दोनो कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
03. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
04. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)  
सकाधि-।।।  
कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर

सं०:- का/283/अरे/अमपास्थाना/टीआरओ/वि०/सोन/2017/पार्ट-V  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचर्नाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 10.10.2020

01. मरेप्र(का०)/दक्षिण पूर्व रेलवे/चकधरपुर।
02. वमविइ/टीआरओ/सोनपुर।
03. मुख्य कू नियंत्रक/संयुक्त लॉबी/बरौनी- उक्त कर्मचारी को 03.07.2020 से अब तक का अवकाश विवरण के साथ विरमित करे।
04. मुख्य कार्याधी/विल/बरौनी।
05. संबंधित अभ्यर्थी।
06. अभिलेख प्रति।
07. कार्यालय आदेश प्रति।
08. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल।

109-6  
कृते मरेप्र(का०)/सोनपुर